

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या - 128 / प्रा0शि0 / स्थाना0 / /2018-19

दिनांक 05/07/2018

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कर्मियों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी की गंभीर रोगग्रस्ता/विकलांगता के अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री रामसूरत यादव	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 भंगा रुद्रपुर	रा0उ0प्रा0वि0किच्छा, रुद्रपुर
2	श्रीमती आशा शर्मा	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 छतरपुर रुद्रपुर	रा0उ0प्रा0वि0पत्थरचट्टा, रुद्रपुर
3	श्रीमती हरप्रीत कौर	स0अ0	रा0आ0उ0प्रा0वि0 कताईमिल, काशीपुर	रा0उ0प्रा0वि0रेलेवे टांडा, काशीपुर
4	लीला रौतेला	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0सन्तना, खटीमा	रा0उ0प्रा0वि0सुजियामहोलिया

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

05/07/18
(रवि मेहता)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पू0स0- /सेवायें प्रशा0/2917-22 /2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबन्धित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ती रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 3- संबन्धित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 4- संबन्धित कोषागार को।
- 5- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

05/07/18
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या - 138 / प्रा0शि0 / स्थाना0 / /2018-19

दिनांक 05/07/2018

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उनके आवदेन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा, कार्मिक तथा वारिष्ठ कार्मिकों के अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	सुनीता	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0विडौरा, रूद्रपुर	रा0उ0प्रा0वि0भदईपुरा, रूद्रपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

05/7/18
(रवि मेहता)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ0स0- /सेवायें प्रशा0/2977-82 /2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ती रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 3- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 4- संबंधित कोषागार को।
- 5- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

05/7/18
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।
आदेश संख्या - 129 / प्रा0शि0 / स्थाना0 / / 2018-19 दिनांक
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के कम में (गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कर्मियों द्वारा स्वयं अथवा प्रति/पत्नी की गंभीर रोगग्रस्ता/विकलांगता के अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक / शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	मौ0फुरकान	स0अ0	रा0प्रा0वि0केलाखड़ा, बाजपुर	रा0प्रा0वि0खुशहालपुर, गदरपुर
2	राजेन्द्र सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0पिपलिया, बाजपुर	रा0प्रा0वि0महेशपुरा, काशीपुर
3	संजीव कुमार	स0अ0	रा0प्रा0वि0विजयनगर, गदरपुर	रा0प्रा0वि0उदयनगर, गदरपुर
4	दीपा तिवारी	स0अ0	रा0प्रा0वि0नई बस्ती गुलरमोज	रा0प्रा0वि0कचनलगांजी, काशीपुर
5	त्रिलोचन सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0ढकिया गुलाबों, काशीपुर	रा0प्रा0वि0महेशपुरा, काशीपुर
6	तुलसी धामी	स0अ0	रा0प्रा0वि0दियां नं0-1, खटीमा	रा0प्रा0वि0नदन्ना, खटीमा

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

1051718
(रवि मेहता)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ0स0- /सेवायें प्रशा0 / 2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबन्धित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ती रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 3- संबन्धित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 4- संबन्धित कोषागार को।
- 5- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

1051718
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।
 आदेश संख्या - 137/प्रा0शि0/स्थाना0/ /2018-19 दिनांक 05/07/2018
 अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र अन्तर्गत)उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री नीरज कुमार	प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 गुलजारपुर काशीपुर	रा0उ0प्रा0वि0रेलवे टांडा काशीपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण ओदश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

05/07/18
(रवि मेहता)

जिला शिक्षा अधिकारी,
 प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ0स0- /सेवायें प्रशा0/ /2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप. शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबन्धित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 4- संबन्धित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 5- संबन्धित कोषागार को।
- 6- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

05/07/18

जिला शिक्षा अधिकारी,
 प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उरी पद एवं वेतनकम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	विद्यालय की श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विद्यालय की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	जहीर अनवर	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0बाबरखेड़ा, जसपुर	सुगम	रा0उ0प्रा0वि0कोपा मुन्स्यारी, गदरपुर।	दुर्गम
2	मोहम्मद हासिम	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0किलावली, जसपुर	सुगम	रा0उ0प्रा0वि0कोपा मुन्स्यारी, गदरपुर।	दुर्गम

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण ओदश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

2018/7/5
 (रवि मेहता)

जिला शिक्षा अधिकारी,
 प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

2965-70

पृ0स0- /सेवायें प्रशा0 /2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षकों को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ती रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 3- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 4- संबंधित कोषागार को।
- 5- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

2018/7/5

जिला शिक्षा अधिकारी,
 प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या - 135/प्रा0शि0/स्थाना0/

/2018-19

दिनांक 05/07/2018

अनिवार्य स्थानान्तरण(दुर्गम से सुगम श्रेणी)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	विद्यालय की श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	विद्यालय की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	विनोद सिंह पवार	स0अ0	रा0प्रा0वि0कोपा बसन्ता, गदरपुर	दुर्गम	रा0प्रा0वि0श्यामनगर, गदरपुर	सुगम
2	सत्यपाल सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0बैगुल डाम, सितारगंज	दुर्गम	रा0प्रा0वि0मखवारा, सितारगंज	सुगम
3	चुन्नी लाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0गंगापुर, सितारगंज	दुर्गम	रा0प्रा0वि0मखवारा, सितारगंज	सुगम

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

05/07/18

(रवि मेहता)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ0स0- /सेवायें प्रशा0 2959-64 /2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबन्धित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ती रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 3- संबन्धित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 4- संबन्धित कोषागार को।
- 5- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

05/07/18

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या - 134 / प्रा0शि0 / स्थाना0 /

/ 2018-19

दिनांक 05/07/2018

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित स0अ0 राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री अनिल कुमार	स0अ0	रा0प्रा0वि0 रम्पुरा शाकर बाजपुर	रा0प्रा0वि0इन्द्रा गांधी, नगर काशीपुर
2	श्रीमती रीना	स0अ0	रा0प्रा0वि0 लंकुरा बाजपुर	रा0प्रा0वि0अहमदनगर, जसपुर
3	श्री जयवीर सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 भीकमपुरी बाजपुर	रा0प्रा0वि0अहरपुरा, काशीपुर
4	श्रीमती शशिबाला	स0अ0	रा0प्रा0वि0 तिलपुरी गदरपुर	रा0प्रा0वि0भोगपुर, काशीपुर
5	रीता मौर्य	स0अ0	रा0प्रा0वि0, बरा	रा0प्रा0वि0किच्छा-1
6	किरण पाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0, सिरौलीकला	रा0प्रा0वि0फूलबाग सेंटर, रुद्रपुर
7	श्रीमती आशा पाण्डे	स0अ0	रा0प्रा0वि0 खरमासा काशीपुर	रा0प्रा0वि0हिम्मतपुर, काशीपुर
8	श्रीमती शुचि कौशिक	स0अ0	रा0प्रा0वि0 पैगा काशीपुर	रा0प्रा0वि0सुदामा लाल, काशीपुर
9	लक्ष्मी मेलकानी	स0अ0	रा0प्रा0वि0, फूलबाग पन्तनगर	रा0प्रा0वि0सजंजनगर-2, रुद्रपुर
10	मंजू सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0, खमिया नं0 1	रा0प्रा0वि0ट कालोनी, रुद्रपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

05/7/18
(रवि मेहता)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ0स0- /सेवायें प्रशा0 / 2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षको को
- 4- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 5- संबंधित कोषागार को।
- 6- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

05/7/18
जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।
आदेश संख्या - 133 / प्रा0शि0 / स्थाना0 / / 2018-19 दिनांक
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (विद्यवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा, कार्मिक तथा वारिष्ठ कार्मिकों के अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्रीमती पुष्पा टम्टा	स0अ0	रा0प्रा0वि0, टॉ कालोनी रूद्रपुर	रा0प्रा0वि0टा कालोनी, रूद्रपुर
2	निशात अजंम	स0अ0	रा0प्रा0वि0ढकिया गुलाबों, काशीपुर	रा0प्रा0वि0कस्तूरबा गांधी, काशीपुर
3	उषा देवी	स0अ0	रा0प्रा0वि0सबौरा प्रथम, खटीमा	रा0प्रा0वि0जंगल जोगी टेर, खटीमा
4	श्रीमती रोजी बाला मदान	स0अ0	रा0प्रा0वि0, खेड़ा रूद्रपुर	रा0प्रा0वि0जगतपुरा, रूद्रपुर
5	कला देवी	स0अ0	रा0प्रा0वि0भीकमपुरी, बाजपुर	रा0प्रा0वि0खमरिया, बाजपुर
6	श्रीमती सुभिता वाजपेयी	स0अ0	रा0प्रा0वि0, शक्तिफॉर्म खास सितारगंज	रा0प्रा0वि0पी0ए0सी0कैम्प, रूद्रपुर
7	रश्मि गुप्ता	स0अ0	रा0प्रा0वि0केलाखेड़ा, बाजपुर	रा0प्रा0वि0सुल्तानपुर पट्टी-1, बाजपुर
8	योगेन्द्र सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0मडैया हट्टू, बाजपुर	रा0प्रा0वि0मडैया देवी, काशीपुर
9	श्रीमती राजेश्वरी पाण्डे	स0अ0	रा0प्रा0वि0, तपेड़ा सितारगंज	रा0प्रा0वि0शान्तीपुरी-1, रूद्रपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।



(रवि मेहता)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ0स0- / सेवार्थ प्रशा0 / / 2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षकों को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ती रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 3- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 4- संबंधित कोषागार को।
- 5- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या - 132 / प्रा0शि0 / स्थाना0 / / 2018-19

दिनांक 05/07/2018

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित स0अ0 राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (मानसिक रूप से विकसित एवं लाचार बच्चों के माता-पिता के अन्तर्गत) उरी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक / शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम / विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	कमला जोशी	स0अ0	रा0प्रा0वि0, विडौरा, रूद्रपुर	रा0प्रा0वि0 बंगाली कालोनी, रूद्रपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त / ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

05/7/18

(रवि मेहता)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

2941 26

पृ0स0- / सेवायें प्रशा0 / / 2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबन्धित शिक्षकों को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ती रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 3- संबन्धित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 4- संबन्धित कोषागार को।
- 5- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

05/7/18

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 31 / प्रा0शि0 / स्थाना0 / / 2018-19 दिनांक 05/07/2018
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित स0अ0 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र अन्तर्गत)उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	चन्द्रा जोशी	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0,शान्तिपुरी नं04	रा0उ0प्रा0वि0 संजय नगर
2	श्रीमती कविता चौहान	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0एस्टकोर्ट फार्म, काशीपुर	रा0उ0प्रा0वि0रेलवे टांडा काशीपुर
3	श्रीमती शोभा मनराल	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 भीमनगर काशीपुर	रा0उ0प्रा0वि0क0नगर, काशीपुर
4	श्रीमती सुनीता रानी	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 जुर्खा न0 1 काशीपुर	रा0उ0प्रा0वि0क0नगर, काशीपुर
5	खेमकरन सिंह	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0, ढौराडाम	रा0उ0प्रा0वि0 टाजिटकैम्प, रूद्रपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

05/07/18
(रवि मेहता)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ0स0- /सेवायें प्रशा0 2935-40 / 2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षको को
- 4- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 5- संबंधित कोषागार को।
- 6- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

05/07/18
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या - 130 / प्रा0शि0/स्थाना0/ /2018-19 दिनांक 05/07/2018
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में (विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा, कार्मिक तथा वारिष्ठ कार्मिकों के अन्तर्गत) उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्रीमती अशोक रानी	प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० पैगा, काशीपुर	रा०उ०प्रा०वि० जैतपुरघोसी, काशीपुर
2	श्री बलराम सिंह	प्र०अ०	रा०पू०मा०वि० जोगीपुरा बाजपुर	रा०उ०प्रा०वि० खड़पुर देवीपुरा, काशीपुर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(5)

स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

05/07/18

(रवि मेहता)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ०स०- /सेवायें प्रशा० 2929-34 /2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षको को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ती रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 3- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 4- संबंधित कोषागार को।
- 5- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

05/07/18

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा -16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद उधमसिंह नगर के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	विद्यालय की श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विद्यालय की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	जहीं अनवर	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि०बाबरखेड़ा, जसपुर	सुगम	रा०उ०प्रा०वि०कोपा मुन्स्यारी, गदरपुर।	दुर्गम
2	मोहम्मद हासिम	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि०किलावली, जसपुर	सुगम	रा०उ०प्रा०वि०कोपा मुन्स्यारी, गदरपुर।	दुर्गम

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

20517118
 (रवि मेहता)
 जिला शिक्षा अधिकारी,
 प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।

पृ०स०- /सेवायें प्रशा० 2965-70 /2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को उक्त शिक्षकों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की वे संबंधित शिक्षकों को आदेश प्राप्त कराते हुए प्राप्ती रसीद कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे।
- 3- संबंधित शिक्षक को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 4- संबंधित कोषागार को।
- 5- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

20517118
 जिला शिक्षा अधिकारी,
 प्रारम्भिक शिक्षा उधमसिंह नगर।